



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032025-261692
CG-DL-E-18032025-261692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1228]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946

No. 1228]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2025

का. आ. 1241(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में केंद्र सरकार, अपर मुख्य सचिव (आईटी), सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आयकर दाताओं के बारे में जानकारी साझा करने के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना क्रमांक 20/2025 फा. सं. 225/33/2025-आईटीए.II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2025

S.O. 1241(E).—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 138 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby specifies ‘**Additional Chief Secretary (IT), Department of Information & Technology, Government of National Capital Territory of Delhi**’ for the purposes of the said clause in connection with sharing of information regarding Income-tax payers for identifying eligible beneficiaries under the social welfare schemes of Government of National Capital Territory of Delhi.

[Notification No. 20/2025 F. No. 225/33/2025/ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.